शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन): (क) जी नहीं, हाल ही में ऐसा कोई आदेश जारी नहीं हुआ है।

(ख) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

रेलवे स्टेशनों के आस-पास झुग्गी-झोपड़ियां

4377. श्री रामजी लाल: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिल्ली में विभिन्न स्थानों पर विशेषकर रेलवे स्टेशनों के आस-पास बड़ी संख्या में झुग्गी-झोपड़ियां होने के कारण भारत यात्रा पर आने वाले विदेशी संभ्रांत नागरिक भारत की राजधानी शहर दिल्ली को एक अनियोजित शहर मानते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार शहर की सुन्दरता बनाये रखने के लिए इन झुग्गियों में रहने वाले लोगों को लघु आवास इकाइयां उपलब्ध कराने की किसी योजना पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन): (क) से (घ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार द्वारा किए गए एक सर्वे के अनुसार जनवरी, 1990 में दिल्ली में 929 झुग्गी-झोपड़ी समूह थे जिन में 2.60 लाख झुग्गियां थीं। प्राथमिकता वाले स्थलों पर पहचाने गए वे झुग्गी-झोंपड़ी समूह जो जनवरी, 1990 में दिल्ली में विद्यमान थे को स्वीकृत दिशा निर्देशों के अनुसार भू-स्वामित्व एजेंसियों के अनुरोध पर वैकल्पिक स्थलों पर पुन: बसाया जाना है। जनवरी, 1990 के बाद सरकारी भूमि पर बनी झुग्गियों को भू-स्वामित्व एजेंसियों द्वारा प्रक्रिया के अनुसार हटाया जाता है। इस तरह के मामलों में कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की जाती है।

सहकारी आवास समितियों द्वारा जमा करायी गयी धनराशि की वापसी

4378. श्री राम जेठमलानी: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सहकारी आवास समितियों को, जिन्होंने द्वारका परियोजना में आवास हेतु राशि जमा करायी थी किन्तु दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा जमीन की कीमतों में वृद्धि कर देने के कारण अपनी जमा राशि वापिस कर देने का अनुरोध किया था, जमा राशि वापिस कर दी गयी है;

(ख) यदि हां, तो उन समितियों के नाम क्या हैं जिन्हें उनके द्वारा जुलाई 1994 तक जमा करायी गयी धनराशि अभी तक वापिस नहीं की गई है;

(ग) क्या यह भी सच है कि कई समितियों को सिर्फ 50 प्रतिशत जमा राशि ही वापिस की गई है;

(घ) यदि हां, तो कम धनराशि वापिस करने के क्या कारण हैं तथा समितियों को उनकी पूरी राशि का भुगतान एकमुश्त न करने का निर्णय प्राधिकरण के किस स्तर पर लिया गया था तथा उन अधिकारियों के नाम क्या है;

(ङ) क्या यह भी सच है कि समितियों ने धनराशि एकमुश्त जमा करायी थी; और

(च) यदि नहीं, तो इस संबंध में तथ्य क्या है और उनकी जमाराशि वापिस करने में विलम्ब होने के क्या कारण है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन): (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि कुछ समितियों, जिन्हें 1992-93 और 1993-94 के लिये भारत सरकार द्वारा अधिसूचित दरों से पूर्व की दरों पर भूमि की पेशकश की गई थी, ने 1990-91 की पूर्व पेशकश और/अथवा अक्टूबर/नवम्बर, 1992-93 के बाद की गई पेशकश के प्रत्युत्तर में जमा राशि वापस लौटाने की मांग की है और उनमें से अनेक को राशि वापस दे दी गई है।

(ख) ऐसी समितियों के नाम विवरण में हैं (नीचे देखिए)।

(ग) और (च) 4 समितियों के मामले में 50% राशि वापस की गई थी। शेष राशि वापस करने हेतु इन मामलों पर कार्यवाही चल रही है।

(ङ) नजूल भूमि नियमावली, 1981 के नियम 24 के अनुसार सामूहिक आवास समितियों के लिये भूखण्ड हेतु भूमि कीमत की मांग किस्तों में की जाती है।

(च) राशि वापस करना एक सतत प्रक्रिया है और भुगतान सत्यापन होने के बाद ही किया जाता है।

विवरण

उन सोसाएटियों की सूची जिन्हें उनके द्वारा जुलाई, 1994 तक जमा कराई गई धनराशि अभी तक नहीं लौटाई गई है:-

क्र. सं.	रजिस्ट्रेशन नं.	समिति का नाम
1	2	3
1.	873	पुरवल वैश्य सी जी एच एस
2.	877	श्री श्याम सी जी एच एस
3.	913	नव सिद्धार्थ सी जी एच एस
4.	918	परम आशिवाद सी जी एच एस
5.	951ए	क्रिसेंट सी जी एच एस
6.	979	परियोजना सी जी एच एस
7.	982	गुजराज विकास सी जी एच एस

1	2	3
8.	807	बाहुबली
9.	625	भावना
10.	632	ओल्ड एंड यंग फ्रैंडस
11.	754	वस्त्रलोक
12.	844	सी.बी.ई.यू.
13.	703	गृह स्थापना
14.	766	न्यू कावेरी
15.	861	सेन्ट्रल वेयर हाऊसिंग

Enquiry against the Sagar Cooperative Group Housing Society by DDA.

4379. SHRI GHUFRAN AZAM: Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether the Delhi Development Authority has been delaying the enquiries pertaining to land etc. given to the Sagar Group Housing Society Limited, Patparganj, Delhi despite repeated reminders from both complainants and government;

(b) whether the Society has been found to have misused the land allotted by Delhi Development Authority (DDA) and also found to have violated the rules pertaining to membership etc.;

(c) whether the Delhi Development Authority has also not kept the complainants informed to elicit further information and to stop corrupt practices of the society; and

(d) if so, the facts and details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI P.K. THUNGON). (a) No, Sir.

(b) DDA has reported that the number of dwelling units constructed by Sagar Cooperative Group Housing Society is in accordance with the sanctioned plans. The society was issued D-Form on 10-1-94. No misuse of allotted land has been noticed. The Registrar Cooperative Societies has reported that as per record submitted by the society, no violation of rules in respect of membership has been noticed so far.

(c) and (d) Cooperative societies do not function under the control and supervision of DDA. The function therefore, of DDA taking steps to stop corrupt practices in this on any other cooperative society does not arise.

Allotment of DDA Flats to House owners

4380. PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA : Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether under the rules, no DDA flat can be allotted to any person who owns property either in his own name or in the names of their dependent children etc. in Delhi or in other part of the country;

(b) if so, the details thereof and the reasons for violating the rule by allotting flats of DDA in the recent past to persons who owned property elsewhere in the country; and

(c) whether the DDA takes an affidavit to the effect that he or his dependent children do not own property-residential, commercial or agricultural flat, plot in Delhi or elsewhere in the country?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI P.K. THUNGON): (a) and (b) DDA has reported that, as per rules for allotment of flats, the applicant must not own any residential house or plot in full or in part on lease-hold or free-hold basis in New Delhi, Delhi and Delhi Cantonment, either in his/her own name or in the name of his her wife/husband or in the name of his/her minor or dependent children. If however the individual share of the applicant in the jointly-owned plot of land under the residential house is less than 66.9 sq. mtrs. (80 sq. yds.) he/she can apply for registration under a DDA Scheme. There is no violation of rules in the allotment of flats to persons who own property outside the National Capital Territory of Delhi, as it is not a disqualificaion.

(c) The registrants of DDA's housing schemes are called upon to swear an affidavit of non-owning of properties in the National Capital Territory of Delhi. No affidavit is taken for owning property elsewhere in the country.

Land Grabbing

4381. PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA: Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether cases have been registered against private colonisers and engineering staff of the DDA for land grabbing and collusion with builders, promoters, land owners etc.;

(b) if so, the details thereof;